MOST IMMEDIATE

F. No.10(1)/2010-LR
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Industrial Policy& Promotion
(LR Section)

Udyog Bhavan, New Delhi.
Dated: 11th February, 2010

To

All the Commissioners/
Secretaries of the States/UTs,
Department of Road Transport.

Subject: Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles (Quality Control) order 2009.

Sir,

I am directed to say that a Notification has been issued on 19.11.2009 titled "Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles (Quality Control) order 2009", a copy of which is enclosed for ready reference.

2. The Notification inter-alia, prohibits that " no person shall be himself or through any person on his behalf, manufacture, import, store for sale, sell or distribute Pneumatic Tyres which do not conform to the Specified Standard by the Bureau of Indian Standards and which do not bear the Standard Mark of the Bureau on obtaining Certification marks licence;". The prohibition is, however, subject to the provisions contained in clause (a) to (f) under para-3 of the order. The Quality Control Order shall come into force immediately on completion of 180 days from the date of its publication in the Official Gazette i.e. 19.11.2009.

3. The above Order needs be given wide publicity as there may be several small manufacturers who are not aware of this Quality Order. It is, therefore, requested that wide publicity may please be given to the Order through the concerned agencies of the State Government/UT.

Yours faithfully,

(Babu Lal)
Dy. Secretary to the Govt. of India

Copy to: RRS(LID) 4,402

(i) Shri Alok Rawat, Jt. Secretary, Deptt. of Road Transport & Highways, Transport Bhawan, 1 Parliament Street, New Delhi-110001 with a request to give wide publicity to the order.
(ii) Secretary General FICCI, Director General CII and President ASSOCHAM for giving wide publicity to the order.
(iii) Shri R.R.Singh, Scientist, BIS with the request that the said Quality Control Order may be put on BIS website.

16/2/10

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1905] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2009/कार्तिक 28, 1931
No. 1905] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2009/KARTIKA 28, 1931

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2009

का.आ. 2953(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो से विचार विमर्श के बाद एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, नामत: :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(1) इस आदेश को आटोमोटिव व्हीकलों के लिए न्यूमेटिक टायर तथा ट्यूब (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2009 कहा जाएगा ।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन के 180 दिन पूरा हो जाने पर तुरन्त प्रभाव में आ जाएगा ।

2. **परिभाषाएं.**— इस आदेश में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63);

(ख) "उपयुक्त प्राधिकारी" का अर्थ किसी ऐसे अधिकारी से है जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में अवर सचिव अथवा जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार में अवर सचिव से नीचे के रैंक का न हो अथवा किसी राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रदेश सरकार के जिला उद्योग केन्द्र में महाप्रबंधक (जनरल मैनेजर) से नीचे के रैंक का न हो;

(ग) "ब्यूरो" का अर्थ है भारतीय मानक ब्यूरो;

(घ) "आटोमोटिव व्हीकल्स के लिए न्यूमेटिक टायर तथा ट्यूब" का अर्थ है अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट मदें,

(ङ) न्यूमेटिक टायरों में "न्यूमेटिक ट्यूब" भी सम्मिलित हैं ।

(च) "अनुसूची" का अर्थ है इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची

(छ) न्यूमेटिक टायर से संबंधित "डीलर" का अर्थ ऐसे व्यक्ति, अथवा फर्म अथवा अन्य कानूनी हस्ती से है जो आटोमोटिव वाहनों के लिए न्यूमेटिक टायरों को खरीदने, बेचने, आपूर्ति करने अथवा वितरण करने का कारोबार प्रत्यक्ष अथवा किसी अन्य रूप से चला रहा हो चाहे वह कैश में अथवा आस्थगित भुगतान अथवा दलाली के लिए अथवा क्षतिपूर्ति अथवा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए हो;

(ज) "आटोमोटिव वाहनों के लिए न्यूमेटिक टायरों के सबंध में "विनिर्माता" का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति अथवा एक फर्म अथवा अन्य कानूनी हस्ती से है जो आटोमोटिव वाहनों के लिए न्यूमेटिक टायरों का उत्पादन करती है, बनाती है अथवा विनिर्माण करती है तथा इसमे किसी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा अन्य कानूनी हस्ती को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो यह दावा करता हो कि आटोमोटिव वाहनों के लिए उत्पादित, बनाये गये अथवा विनिर्मित ऐसे न्यूमेटिक टायर किसी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा अन्य कानूनी हस्ती द्वारा किया गया है, जैसा भी मामला हो।

(झ) आटोमोटिव व्हीकलों के लिए न्यूमेटिक टायरों के संबंध में मूल उपकरण विनिर्माता (औइएम) का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा अन्य कोई कानूनी हस्ती से है जो आटोमोटिव वाहनों का उत्पादन करती हैं, बनाती है अथवा विनिर्माण करती हैं तथा इसमें किसी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म अथवा अन्य कोई कानूनी हस्ती को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो यह दावा करता है कि ऐसे आटोमोटिव वाहन ऐसे किसी अन्य किसी कानूनी हस्ती द्वारा उत्पादित किये गये, बनाये गये अथवा विनिर्मित किये गये हैं, जैसा भी मामला हो;

(ञ) "विनिर्दिष्ट मानदंड" का अर्थ अनुसूची के कॉलम (3) में संगत प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक से है।

(ट) "राज्य सरकार" में संघ शासित प्रशासन भी सम्मिलित होता है;

(ठ) "मानक चिन्ह" का अर्थ है एक विशेष भारतीय मानक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन चिन्ह।

(ड) "आयातक" का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म अथवा कोई अन्य कानूनी हस्ती से है जो विदेश से भारत के सीमा शुल्क क्षेत्र में न्यूमेटिक टायरों का आयात करते हैं अथवा इसके आयात का कारण बनते हैं।

(ढ) "निर्यातक" का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म अथवा कोई अन्य कानूनी हस्ती से है जो भारत से दूसरे देश को न्यूमेटिक टायरों का निर्यात करते हैं।

(ण) इस आदेश में प्रयोग किये गये परन्तु परिभाषित नहीं किये गये सभी अन्य शब्द व अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया अर्थ होगा।

3. विनिर्माण, बिक्री, वितरण आदि के बारे में निषेध :- (1)कोई भी व्यक्ति न तो स्वयं अथवा उसकी ओर से कोई व्यक्ति आटोमोटिव वाहनों के लिए न्यूमेटिक टायरों का विनिर्माण, आयात अथवा बिक्री, बेचने तथा वितरण के लिए भंडारण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है और जिन पर प्रमाणन चिन्ह लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर ब्यूरो का मानक चिन्ह नहीं हो।

बशर्ते, इस आदेश में दी गई कोई भी बात न्यूमेटिक टायरों पर निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगी :

(क) भारत में निर्यात के लिए विनिर्मित न्यूमेटिक टायर;

(ख) वाहनों पर लगाने के लिए अथवा बिक्री पश्चात, निर्यात के लिए बने मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा तथा/अथवा उनकी प्राधिकृत कंपनियों द्वारा आयात किये गये न्यूमेटिक टायर।

नोटः

(1) दोनों मामलों में निर्यात या तो सीधे अलग-अलग संघटक के रूप में या ऐसे वाहन के हिस्से के तौर पर हो सकता है जो पूरा बना हो, या ड्राइव अवे चेसिस रूप में हो या पूरी तरह नॉकड डाउन (सीकेडी) अथवा सेमी नॉकड डाउन (एसकेडी) फार्म में हो।

(2) बशर्ते कि निर्यात के लिए अपेक्षित न्यूमेटिक टायरों के निर्यात के संबंध में इस आदेश में कुछ लागू नहीं होगा जो विदेशी खरीददार द्वारा अपेक्षित किसी भी विनिर्देशन के अनुरूप हो।

(ग) पूर्ण निर्मित यूनिट (सीबीयू) के भाग के तौर पर आयातित न्यूमेटिक टायर, चाहे सीबीयू का मान कुछ भी हो, बशर्ते ऐसे टायर बीआईएस विनिर्देशन पूरे करें। ऐसे मामलों में, वाहन नियमपुस्तिका में सीबीयू विनिर्माताओं द्वारा स्व-घोषणा ही पर्याप्त होगी कि वाहनों में लगाये गये टायर भारतीय मानक ब्यूरो की जरूरतों को पूरा करते हैं और वे केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, (सीएमवीआर), 1989 के अन्तर्गत जरूरतों का अनुपालन करते हों, यदि भारत में होमोलोगेशन हेतु वाहन पहले ही डीजीएफटी अधिसूचना द्वारा मुक्त हैं, तो टायरों के लिए स्व-घोषणा की आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) अनुसंधान और विकास उद्देश्यों हेतु आयातित अथवा विनिर्मित न्यूमेटिक टायर।

(ङ) घरेलू बाजार के लिए भारत में विनिर्मित वाहनों पर फिट किए जाने हेतु मूल उपकरण विनिर्माताओं (औइएम) द्वारा आयात किए जाने वाले न्यूमेटिक टायर (पूर्ण निर्मित या ड्राइव अवे चेसिस रूप में) ऐसे ममलों में, ओईएम द्वारा नियम पुस्तिका में

यह स्वघोषणा ही पर्याप्त होगी कि वाहन में लगाए गए टायर बीआईएस की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और यह पर्याप्त होगा कि वे केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली (सीएमवीआर), 1989 के अन्तर्गत जरूरतों को पूरा करते हैं।

(च) ऐसे टायर जो घरेलू तौर पर नहीं बनाए गए हों और मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) या विनिर्माताओं द्वारा प्रतिस्थापन बाजार में अपने प्राधिकृत डीलरों के जरिये बिक्री हेतु आयात किए गए हों। घरेलू तौर पर विनिर्मित न किए गए तथा आयतित न्यूमेटिक टायरों की सूची की एक समिति द्वारा हर 3 माह बाद समीक्षा की जाएगी जिसके अध्यक्ष औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के एक अधिकारी होंगे तथा जिसमें इन पार्टियों के सदस्य होंगे-जहाजरानी, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) भारतीय आटोमोटिव अनुसंधान एसोसिएशन (एआरएआई) आटोमोबाइल टायर विनिर्माता एसोसिएशन, (एटीएमए) भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसायटी (एसआईएएम) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), यह समिति संबद्ध पक्षों के सामने आ रहे मुद्दों/समस्याओं पर विचार करेगी, छूट दिए जाने वाले न्यूमेटिक टायरों की सूची को अंतिम रूप देगी तथा उपयुक्त सिफारिशें करेगी।

4. प्रमाणन हेतु दायित्व -

(1) यदि पहले ही प्राप्त नहीं किया गया हो, तो इस आदेश के जारी होने से 45 दिन के भीतर मानक चिन्ह के उपयोग हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सभी न्यूमेटिक टायर एवं ट्यूबों के विनिर्माताओं द्वारा ब्यूरो में आवेदन दिया जाएगा।

(2) ब्यूरो द्वारा मानक चिन्ह के उपयोग हेतु लाइसेंस प्रदानगी, अधिनियम के उपबंधों तथा उसके तहत नियमों व विनियमों के अनुसार की जाएगी।

(3) जब कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के जरिये आटोमोटिव वाहनों के न्यूमेटिक टायरों के विनिर्माण का प्रस्ताव करेगा, तो वह मानक चिन्ह के उपयोग हेतु ब्यूरो से वैध लाइसेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात ही उत्पादन आरंभ करेगा।

(4) न्यमेटिक टायरों हेतु लाइसेंस की अवधि बीत जाने या रद्द किए जाने संबंधी सूचना उचित प्राधिकरण को दी जाएगी अथवा बीआईएस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

5. सूचना, आदि मंगाने का अधिकारः इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत, उचित प्राधिकरण को अधिकार है कि वह :

(1) न्यूमेटिक टायरों के विनिर्माण, आयात, बिक्री हेतु भंडारण, बिक्री या वितरण में कार्यरत किसी भी व्यक्ति से किसी ऐसी सूचना की मांग कर सकता है जिसे वह न्यूमेटिक टायरों के विनिर्माण, आयात, बिक्री हेतु भंडारण, बिक्री या वितरण के संबंध में आवश्यक समझता हो या किसी भी ऐसे व्यक्ति से ऐसे न्यूमेटिक टायरों के नमूने प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है;

(2) ऐसे न्यूमेटिक टायरों के विनिर्माण, आयात, बिक्री हेतु भंडारण, बिक्री या वितरण में कार्यरत किसी भी व्यक्ति द्वारा रखे गए, या उससे संबधित या उसके कब्जे में या नियत्रण वाले किसी भी पुस्तक या अन्य दस्तावेज या आटोमोटिव वाहनों के न्यूमेटिक टायरों का निरीक्षण कर सकता है अथवा करवा सकता है।

6. नमूनों का परीक्षण :- मानक चिन्ह वाले आटोमोटिव वाहनों के न्यूमेटिक टायर नमूने अथवा ओंईएम द्वारा आयातित मानक चिन्ह के बिना और स्वघोषित अनुपालन के साथ जो उपयुक्त प्राधिकारण द्वारा यह तय करने हेतु लिए जाएंगे कि क्या वे विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें ब्यूरो अथवा उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में जाचा जाएगा।

7. विनिर्माताओं और डीलरों को निर्देश जारी करने के अधिकार :- उपयुक्त प्राधिकरण, अधिनियम अथवा इस आदेश के अनुरूप विनिर्माताओं और डीलरों को निर्देश जारी कर सकता है, जो इस आदेश के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक हो।

8. निर्देशों का अनुपालन:- न्यूमेटिक टायरो के विनिर्माण, आयात, बिक्री हेतु भंडारण, बिक्री या वितरण में लगा हर व्यक्ति जिसे इस आदेश के तहत कोई भी निर्देश दिया जाएगा, ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

9. सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व :- कोई भी विनिर्माता, आयातक या डीलर इस आदेश के उपबंधों से बचने के आशय से, खंड 5 के तहत उससे कानूनी रूप से मांगी गई किसी भी सूचना को देने से न तो मना करेगा, न उसे छिपाएगा, नष्ट, विकृत करेगा और न ही ऐसे व्यक्ति द्वारा रखे या उसके कब्जे अथवा नियंत्रण में किसी न्यूमेटिक टायर को बिगाड़ेगा।

अनुसूची

(खंड 2च देखें)

क्र.सं. (1)	मद (2)	भारतीय मानक (3)
1	आटोमोटिव वाहन – दुपहिया और तिपहिया मोटर वाहनों के न्यूमेटिक टायर-विनिर्देशन	आईएस 15627
2	आटोमोटिव वाहन – सवारी कार वाहनों के न्यूमेटिक टायर डायोगनल और रेडियल प्लाई – विनिर्देशन	आईएस 15633
3	आटोमोटिव वाहन – वाणिज्यिक वाहनों के न्यूमेटिक टायर डायोगनल और रेडियल प्लाई – विनिर्देशन	आईएस 15636
4	आटोमोटिव वाहन – न्यूमेटिक टायरों की ट्यूबें - विनिर्देशन	आईएस 13098

[फा. सं. 16 (72)/2005-एल आर]

4209 GI/05-2

रेणु शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

ORDER

New Delhi, the 19th November, 2009

S.O. 2953(E).– In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short Title and commencement: - (1) This Order may be called the Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles (Quality Control) Order, 2009.

(2) It shall come into force immediately on completion of 180 days of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions:- In this Order, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);

(b) "Appropriate Authority" means an officer not below the rank of an Under Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) or an Under Secretary in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Government of India or an officer not below the rank of a General Manager, District Industries Centre of a State or Union Territory Government;

(c) "Bureau" means the Bureau of Indian Standards;

(d) "Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles" mean the items specified in column (2) of the Schedule;

(e) "Pneumatic Tyres" includes "Pneumatic Tubes" also;

(f) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order;

(g) "dealer" in relation to Pneumatic Tyres means a person who, or a firm or any other legal entity which carries on, direct or otherwise, the business of buying, selling, supplying or distributing Pneumatic Tyres whether in cash or for deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration;

(h) "manufacturer" in relation to Pneumatic Tyres for Automotive Vehicles, means a person who, or a firm or any other legal entity which, produces, makes or manufactures Pneumatic Tyres for Automotive Vehicles and includes a person who, or a firm or any other legal entity which, claims such Pneumatic Tyres for Automotive Vehicles to be produced, made or manufactured by any such person or firm or any other legal entity as the case may be;

(i) "Original Equipment Manufacturer (OEM)" in relation to Automotive Vehicles, means a person who, or a firm or any other legal entity which, produces, makes or manufactures Automotive Vehicles and includes a person who, or a firm or any other legal entity which, claims such Automotive Vehicles to be produced, made or manufactured by any such person or firm or any other legal entity as the case may be;

(j) "Specified Standard" means the Indian Standards as specified in the corresponding entry in column(3) of the Schedule;

(k) "State Government", includes a Union Territory Administration also;

(l) "Standard Mark" means the Bureau of Indian Standards Certification Mark specified by the Bureau to represent a particular Indian Standard;

(m) "Importer" means a person, a firm or any other legal entity that imports pneumatic tyres or causes its imports from a foreign country into customs territory of India;

(n) "Exporter" means a person, a firm or any other legal entity that exports pneumatic tyres from India to another country;

(o) All other words and expressions used but not defined in this Order shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition regarding manufacture, sale, distribution etc:- (1) No person shall by himself or through any person on his behalf, manufacture, import, store for sale, sell or distribute Pneumatic Tyres which do not conform to the Specified Standard and which do not bear the Standard Mark of the Bureau on obtaining Certification marks licence;

4209 GI/09-3

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to Pneumatic Tyres for the following:

(a) Pneumatic tyres manufactured in India for exports ;

(b) Pneumatic tyres imported by Original Equipment Manufacturers (OEM) and/or their authorized companies for fitment on vehicles or after sales, meant for exports;

Note:

(1) In both cases, exports may be either directly as individual components or as part of a vehicle completely built or in drive away chassis form or in Completely Knocked Down (CKD) or Semi-Knocked Down (SKD) condition.

(2) Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of pneumatic tyres required for export, which conforms to any specification required by the foreign buyer.

(c) Pneumatic tyres imported as part of Completely Built Unit (CBU), irrespective of the value of the CBU, so long as such pneumatic tyres meet the requirements of specified standard. In such cases self-declaration by CBU manufacturers in the vehicle manual to the effect that the tyres fitted in the vehicles meet the requirements of the BIS and they comply with the requirements under the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), 1989, would suffice. If vehicles are already exempted by Director General of Foreign Trade (DGFT) notifications for homologation in India, self-declaration will not be required;

(d) Pneumatic Tyres imported or manufactured for research and development purposes;

(e) Pneumatic tyres imported by Original Equipment Manufacturers (OEM) for fitment on vehicles manufactured in India for domestic market (completely built or drive away chassis form). In such cases, self-declaration by the OEM in the vehicle manual to the effect that tyres fitted in the vehicles meet the requirements of BIS and that they comply with the requirements under the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), 1989, would suffice;

(f) Pneumatic tyres not manufactured domestically and imported by Original Equipment Manufacturers (OEM) or manufacturers for selling in replacement market through their authorized dealers. The list of pneumatic tyres not manufactured domestically and imported would be reviewed every three months by a Committee chaired by an officer of the Department of Industrial Policy and Promotion and having members from Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Central Institute of

Road Transport (CIRT), Automotive Research Association of India (ARAI), Automotive Tyre Manufacturers Association (ATMA), Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) and Bureau of Indian Standards (BIS). The Committee will consider the issues/problems faced by the stakeholders, finalize the list of pneumatic tyres to be exempted and make suitable recommendations.

4. Obligation for Certification:- (1) All manufacturers of Pneumatic Tyres and Tubes shall make an application to the Bureau for obtaining licence within 45 days of the issue of this Order, for use of the Standard Mark if not already obtained.

(2) The grant of licence by the Bureau for use of the Standard Mark shall be as per provisions of the Act and the rules and regulations made there under.

(3) When any person by himself or through any other person on his behalf proposes to manufacture Pneumatic Tyres, he shall commence production only after obtaining a valid licence from the Bureau for the use of Standard Mark.

(4) Information relating to expiry or cancellation of any licence by the Bureau for Pneumatic Tyres shall be intimated to the appropriate authority and displayed on BIS website.

5. Power to call for information etc: - The Appropriate Authority may, with a view to secure compliance with this Order:

(1) require any person engaged in the manufacture, import, storage for sale, sell or distribution of Pneumatic Tyres to give such information as it deems necessary relating to the manufacture, import, storage for sale, sell or distribution of Pneumatic Tyres or require any such person to furnish to it samples of such Pneumatic Tyres;

(2) inspect or cause to be inspected any book or other document or Pneumatic Tyres for Automotive Vehicles kept by or belonging to or in possession or under the control of any person engaged in the manufacture, import, storage for sale, sell or distribution of such Pneumatic Tyres.

6. Testing of samples:- Samples of Pneumatic Tyres bearing the Standard Mark or without standard mark imported by the OEM and with self declared conformation and drawn by the Appropriate Authority for ascertaining whether they are of the Specified Standard, shall be tested in the laboratory approved by the Bureau or Appropriate Authority.